



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092022-238613
CG-DL-E-05092022-238613

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]
No. 602]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2022/भाद्र 14, 1944
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2022/BHADRA 14, 1944

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 681(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में समूह 'क' के वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, समूह 'क' (वैज्ञानिक और तकनीकी) पद, भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम सीधी भर्ती, आमेलन या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए लागू होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर निम्नलिखित स्तंभों में विनिर्दिष्ट है :-

क्र.सं.	पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या*	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वैज्ञानिक 'बी'	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचित (वैज्ञानिक और तकनीकी)	702	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.) ।
2.	वैज्ञानिक 'सी'		361	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 11 (67700-208700 रु.) ।
3.	वैज्ञानिक 'डी'		126	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.) ।
4.	वैज्ञानिक 'ई'		36	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रु.) ।
5.	वैज्ञानिक 'एफ'		16	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13क (131100-216600 रु.) ।

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

3. **भर्ती का मानक.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो नीचे दी गई हैं :-

- पद चयन पद होगा ।
- पद भर्ती के प्रयोजनों के लिए संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त होगी ।
- विभिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव नीचे दिए गए हैं:-

अनिवार्य :

(क) **शैक्षणिक अर्हताएं:** नीचे उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार इंजीनियरी में स्नातक डिग्री या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री या इलेक्ट्रानिकी और प्रत्यायन विभाग से कम्प्यूटर पाठ्यक्रम बी-स्तर या इंजीनियरों के संस्थान का संबद्ध सदस्य या इलेक्ट्रानिकी और दूरसंचार इंजीनियरों के संस्थान का स्नातक या विज्ञान में मास्टर डिग्री (एम एस सी) या कम्प्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री (एम ई या एम-टेक) या दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री (एम-फिल) :-

क्षेत्र (एकल या संयोजन में):

भौतिकी विज्ञान, अनुप्रयुक्त भौतिकी, इलेक्ट्रानिकी, इलेक्ट्रानिकी और दूरसंचार, रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रानिकी, रसायन विज्ञान, अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, तात्विक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, संचार, कम्प्यूटर और नेटवर्किंग सुरक्षा, कम्प्यूटर उपयोजन, साफ्टवेयर प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन, सूचना विज्ञान, कम्प्यूटर प्रबंधन, साइबर विधि, जैव-सूचना विज्ञान, सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), भूगोल, गणित, अनुप्रयुक्त गणित, प्रचालन शोध, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, सांख्यिकी, कॉम कम्प्यूटेशनल भाषा विज्ञान, सूचना विज्ञान, विद्युतीय, यांत्रिकी, सिविल, प्रॉडक्शन, औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी, इन्स्ट्रुमेंटेशन, इलेक्ट्रानिकी और इन्स्ट्रुमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रानिकी, डिजाइन।

(ख) अनुभव :

क्रम. सं.	पद का नाम	भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम सुसंगत अनुभव
(1)	(2)	(3)
1.	वैज्ञानिक 'बी'	-
2.	वैज्ञानिक 'सी'	अनुसंधान या औद्योगिकी और शैक्षणिक संस्थान में विकास या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन या दोनों में चार वर्ष ।

3.	वैज्ञानिक 'डी'	अनुसंधान या औद्योगिकी और शैक्षणिक संस्थान में विकास या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन या दोनों में आठ वर्ष ।
4.	वैज्ञानिक 'ई'	अनुसंधान या औद्योगिकी और शैक्षणिक संस्थान में विकास या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन या दोनों में बारह वर्ष ।
5.	वैज्ञानिक 'एफ'	(i) अनुसंधान या औद्योगिकी और शैक्षणिक संस्थान में विकास या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन या दोनों में अठारह वर्ष । (ii) विज्ञान की किसी भी शाखा के अधीन प्रमुख कार्यक्रमों का प्रबंधन और निर्देशन विकसित करने का पांच वर्ष का अनुभव । (iii) उच्च मानक का अनुसंधान कार्य प्रकाशित हो ।

टिप्पण 1 : उपरोक्त अनुभव ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा जो इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री या प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री या इलेक्ट्रानिक्स विभाग और बी स्तर के कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों का प्रत्ययायन या इंजीनियरी संस्थान का सह सदस्य या इलेक्ट्रानिक और दूर संचार इंजीनियर्स संस्थान से स्नातक या विज्ञान में मास्टर डिग्री, कम्प्यूटर उपयोजन विशेषक में मास्टर और ऐसे अभ्यर्थी जो इंजीनियरी में मास्टर डिग्री या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या दर्शनशास्त्र में मास्टर डिग्री रखते हों, उन्हें उपरोक्त अनुभव में दो वर्ष की छूट प्राप्त होगी ।

टिप्पण 2 : उपरोक्त उल्लिखित आवश्यक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात अभ्यर्थी भर्ती के समय पर आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा विनिश्चित, अनुसंधान या विकास या डिज़ाइन या सूचना प्रौद्योगिकी समाधान के समाकलन और कार्यान्वयन या परीक्षण या गुणवत्ता नियंत्रण या, इलेक्ट्रानिक्स नियंत्रण और स्वचलन के क्षेत्र में विकास क्षमता या ई-शासन या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या साइबर सुरक्षा या माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स या नैनो प्रौद्योगिकी या डाटा संचार सहित संचार या नेटवर्क और साफ्टवेयर इंजीनियरी या चिकित्सा इलेक्ट्रानिक्स या औद्योगिक इंजीनियरी या प्रॉडक्शन इंजीनियरी या साइबर विधि के एक या अधिक क्षेत्रों में सुसंगत अनुभव रखता हो।

वांछनीय:

विज्ञान या इंजीनियरी या सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी में पीएचडी ।

4. **भर्ती की पद्धति.-** (क) भर्ती या तो सीधे या आमेलन अथवा प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा की जाएगी और प्रत्येक पद के लिए भर्ती की विशेष पद्धति या शैक्षणिक योग्यता या अनुभव, संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पद के विज्ञापन से पूर्व विशेष पद के लिए शैक्षणिक अर्हताओं और अनुभव के आलोक में इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए- प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन :

सेवानिवृत्ति के कारण सशस्त्र सेना कार्मिक या जो दस वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित को अंतरित हो और नियम 3 के खंड (iii) के अधीन विहित आपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखता हो, पर भी विचार किया जाएगा और यदि चयनित हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सशस्त्र सेनाओं से निर्योजित होने के लिए सम्यक तारीख तक प्रतिनियुक्ति दी जाएगी और उसके पश्चात वह पुनर्नियुक्ति होने पर जारी रख सकेगा ।

(क) सीधी भर्ती (i) सीधी भर्ती के लिए नियम 3 के खंड (iii) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों पर विचार किया जा सकेगा ।

(ii) वैज्ञानिक 'डी', वैज्ञानिक 'ई' और वैज्ञानिक 'एफ' के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर होंगे और वैज्ञानिक 'बी' और वैज्ञानिक 'सी' सरकारी अनुदेशों के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर होंगे जो प्रत्येक अवसर पर अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए दो बार विस्तार योग्य है और यदि अभ्यर्थी अब तक अपनी परिवीक्षा पूरी नहीं किया है तब सरकार उसे पद से उन्मोचित कर सकेगी जिस पर वह भर्ती हुआ था :

परंतु परिवीक्षा अवधि के विस्तार करने का कोई निर्णय साधारणतया पूर्व परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर लेना होगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के लिए कारणों को संबंधित अधिकारी दोनों के साथ लिखित में संसूचित करना होगा।

(iii) वैज्ञानिकों की पुष्टि अध्यक्ष और तीन सदस्यों से गठित विभागीय पुष्टि समिति द्वारा विचार की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) अध्यक्ष – महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ;

(ख) सदस्य – राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से दो वैज्ञानिक 'जी' और प्रमुख (कार्मिक प्रभाग), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र।

(ख) आमेसन या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध सरकारी, कानूनी या भारत या विदेश में स्वायत्त संगठन में कार्यरत वैज्ञानिकों या प्रौद्योगिकीविदों को आमेसन या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए भर्ती किए जा सकेंगे, अर्थात् :-

(i) वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद नियम 3 के खंड (iii) में यथा-विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ;

(ii) वैज्ञानिकों या प्रौद्योगिकीविदों को आवेदन करने वाले पद के सदृश पद धारित किया हुआ हो या विनिर्दिष्ट पद के सामने नीचे दिए गए अनुभव रखता हो :-

क्रम सं.	पद का नाम	आवश्यक अनुभव
(1)	(2)	(3)
(क)	वैज्ञानिक 'बी' के लिए	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -8 (47600-151100 रु.) या उसके समतुल्य में आठ वर्ष की सेवा किया हो
(ख)	वैज्ञानिक 'सी' के लिए	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100-177500 रु.) या उसके समतुल्य में पांच वर्ष की सेवा किया हो
(ग)	वैज्ञानिक 'डी' के लिए	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (67700-208700 रु.) या उसके समतुल्य में पांच वर्ष की सेवा किया हो
(घ)	वैज्ञानिक 'ई' के लिए	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 (78800-209200 रु.) या उसके समतुल्य में पांच वर्ष की सेवा किया हो या वेतन मैट्रिक्स-11 (67700-208700 रु.) या उसके समतुल्य में दस वर्ष की सेवा किया हो
(ड.)	वैज्ञानिक 'एफ' के लिए	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -13 (123100 -215900 रु.) या उसके समतुल्य में दो वर्ष की सेवा किया हो या वेतन मैट्रिक्स -12 (78800-209200 रु.) या उसके समतुल्य में सात वर्ष की सेवा किया हो

(iii) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से आगे बढ़ाया जा सकेगा ;

(iv) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो लचीली पूरक योजना के अधीन स्वस्थानी प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं या प्रचलन में अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक नीति काडर बाह्य पद के अतिरिक्त प्रोन्नति पर नियुक्ति में जिसके लिए वे पोषक प्रवर्ग के अधिकारी नहीं हैं, विचार करने के लिए पात्र होंगे, और इसी प्रकार से प्रतिनियुक्त व्यक्ति लचीली पूरक योजना के अधीन स्वस्थानी प्रोन्नति या कोई अन्य वैज्ञानिक और प्रचलित तकनीकी कार्मिक नीति के लिए विचार करने लिए पात्र होगा ;

(v) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. आयु-सीमा – पद के प्रत्येक श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा निम्नलिखित के अनुसार होगी :-

क्रम सं.	पद का नाम	ऊपरी आयु-सीमा निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी।
(1)	(2)	(3)
(i)	वैज्ञानिक 'बी'	30 वर्ष
(ii)	वैज्ञानिक 'सी'	35 वर्ष
(iii)	वैज्ञानिक 'डी'	40 वर्ष
(iv)	वैज्ञानिक 'ई'	45 वर्ष
(v)	वैज्ञानिक 'एफ'	50 वर्ष

परंतु –

(i) इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में नियमित आधार पर पहले से काम कर रहे वैज्ञानिकों और केन्द्रीय सरकार में समय समय से प्रचालित नियमों की सीमा के अनुसार इसके संगठनों के संबंध में आयु शिथिल की जाएगी;

(ii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों, अस्थि विकलांग और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु-सीमा के संबंध में समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार शिथिल किया जा सकेगा ;

(iii) केन्द्रीय सरकार विशेषीकृत वैज्ञानिक क्षेत्रों में उच्च अनुभवी अभ्यर्थी के मामले में पदों की सभी श्रेणियों के लिए उच्च आयु-सीमा शिथिल की जा सकेगी।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

6. जांच समिति - सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के लिए जांच समिति, अध्यक्ष और दो सदस्यों जो महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा नामित की जाएगी, से मिलकर बनेगी और जांच समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला प्राधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र का महानिदेशक होगा और केवल छंटे हुए अभ्यर्थी भर्ती के अगले स्तर के लिए पात्र होंगे।

7. सीधी भर्ती के लिए या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन के लिए विभागीय चयन समिति, और उसकी संरचना.- सीधी भर्ती के लिए या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन के लिए विभागीय चयन समिति और उसकी संरचना निम्नलिखित है:-

(क) वैज्ञानिक 'एफ' के पद की भर्ती के लिए :-

(i)	रक्षा अनुसंधान विकास संगठन अथवा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या वैज्ञानिक या तकनीकी शैक्षणिक संस्थान से वैज्ञानिक 'एच' या इसके समतुल्य	अध्यक्ष;
(ii)	उद्योग से वैज्ञानिक 'जी' या उसके समतुल्य	सदस्य;
(iii)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14, (144200-218200 ₹.) के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी या भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या वैज्ञानिक या तकनीकी संस्थान के निदेशक स्तर के शैक्षणिक संस्थान से प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	अन्य वैज्ञानिक सरकारी विभाग से वैज्ञानिक 'जी' या उसके समतुल्य स्तर का एक सदस्य	सदस्य ;
(v)	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र या मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन, निदेशालय से वैज्ञानिक 'जी' या इसके समतुल्य स्तर का एक सदस्य	सदस्य

(क) वैज्ञानिक 'बी', वैज्ञानिक 'सी', वैज्ञानिक 'डी' और वैज्ञानिक 'ई' पदों की भर्ती के लिए :

(i)	रक्षा अनुसंधान विकास संगठन अथवा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद या विज्ञान और औद्योगिकी विभाग या वैज्ञानिक या तकनीकी शैक्षणिक संस्थान से वैज्ञानिक 'जी' या इसके समतुल्य	अध्यक्ष;
(ii)	उद्योग से वैज्ञानिक 'जी' या उसके समतुल्य	सदस्य;
(iii)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13क, (135100-216600 रु.) के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी या भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या वैज्ञानिक या तकनीकी संस्थान के निदेशक स्तर के शैक्षणिक संस्थान से प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	अन्य वैज्ञानिक सरकारी विभाग से वैज्ञानिक 'एफ' या उसके समतुल्य स्तर का एक सदस्य	सदस्य;
(v)	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र या मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन, निदेशालय से वैज्ञानिक 'एफ' या इसके समतुल्य स्तर का एक सदस्य	सदस्य

टिप्पण : विभागीय चयन समिति की कार्यवाहियां अध्यक्ष के अतिरिक्त किसी सदस्य की अनुपस्थिति के बावजूद भी की जा सकती है परंतु सदस्य को सम्यक रूप से आमंत्रित किया गया हो लेकिन वह किसी न किसी कारण से अनुपस्थित रहा हो और वह विभागीय चयन समिति के विचार-विमर्श से उसे जानबूझकर बाहर करने का प्रयास नहीं किया गया हो परंतु यह और कि विभागीय चयन समिति का गठन करने वाले अधिकांश सदस्य बैठक में उपस्थित हों।

8. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है की ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

9. भारत और भारत से बाहर सेवा करने के लिए अधिकारियों का दायित्व.- (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारी भारत या भारत से बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए दायित्वधीन होंगे।

(2) इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारी ऐसा प्रशिक्षण लेने के लिए दायी होंगे और उन्हें भारत में या विदेश में प्रशिक्षण के अनुक्रम पर भेजा जाएगा जैसा सरकार समय समय पर विनिश्चय करे और प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम, जिसकी अवधि छह माह या उससे अधिक है, के लिए भेजा गया अधिकारी या प्रशिक्षण की अवधि को ध्यान में न रखते हुए, भारत से बाहर या भारत में प्राइवेट फर्मों या कारखाने में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया अधिकारी प्रशिक्षण के पूरे खर्च का प्रतिदाय करने का दायी होगा यदि किसी कारणवश प्रशिक्षण के दौरान या ऐसे प्रशिक्षण के पूरा होने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपनी सेवा छोड़ने का विकल्प देता है।

10. प्रशिक्षण.- सीधी भर्ती के आधार पर इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को आवश्यक रूप से पूरा करना होगा और किसी भी अधिकारी की, ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा किए बिना उनकी परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं होगी।

11. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

12. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

[फा. सं. 3(2)/2018-कार्मि.]

राजेश गेरा, महानिदेशक

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(National Informatics Centre)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2022

G.S.R. 681(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' Scientific and Technical posts in the National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, namely:—

1. **Short-title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, National Informatics Centre, Group 'A' (Scientific and Technical) Posts, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall be applicable for Direct Recruitment, Absorption or Deputation (including short-term contract).

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as under:—

Sl. No.	Name of post.	Classification.	Number of posts*.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Scientist 'B'	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial (Scientific and Technical)	702	Level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix.
2.	Scientist 'C'		361	Level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix.
3.	Scientist 'D'		126	Level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix.
4.	Scientist 'E'		36	Level-13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix.
5.	Scientist 'F'		16	Level-13A (Rs. 131100-216600) in the pay matrix.

* Subject to variation depending upon workload.

3. **Recruitment norms.** - The method of recruitment to the said posts, qualifications and other matters relating thereto shall be as under:-

(i) The posts shall be selection posts.

(ii) The posts shall be exempted from the purview of the Union Public Service Commission for the purpose of recruitment.

(iii) The minimum educational qualifications and experience for direct recruitment for various posts shall be as under:-

Essential:

(a) **Educational Qualifications:** Bachelor Degree in Engineering or Bachelor Degree in Technology or Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses B-level or Associate Member of Institute of Engineers or Graduate Institute of Electronics and Telecommunication Engineers or Master Degree in Science

(MSc) or Master in Computer Application or Masters Degree in Engineering or Technology (ME or M-Tech) or Masters Degree in Philosophy (MPhil) in the field as mentioned below:-

Field (single or in combination):

Physics, Applied Physics, Electronics, Electronics and Communication, Radio Physics and Electronics, Chemistry, Applied Chemistry, Materials Science, Environmental Science, Computer Sciences, Communication, Computer and Networking Security, Computer Application, Software System, Information Technology, Information Technology Management, Informatics, Computer Management, Cyber Law, Bio-informatics, Remote Sensing, Geographical Information Systems (GIS), Geography, Mathematics, Applied Mathematics, Operations Research, Total Quality Management, Statistics, Computational Linguistics, Information Science, electrical, mechanical, Civil, Production, Industrial Electronics, Instrumentation, Electronics and Instrumentation, Power Electronics, Design.

(b) Experience:

Sl. No.	Name of post	Minimum relevant experience required for recruitment
(1)	(2)	(3)
1.	Scientist 'B'	-
2.	Scientist 'C'	Four years in Research or Development in Industrial and Academic Institutions or Science and Technology Organisations or in both.
3.	Scientist 'D'	Eight years in Research or Development in Industrial and Academic Institutions or Science and Technology Organisations or in both.
4.	Scientist 'E'	Twelve years in Research or Development in industrial and Academic Institutions or Science and Technology Organisations or in both.
5.	Scientist 'F'	(i) Eighteen years in Research or Development in industrial and Academic Institutions or Science and Technology Organisations or in both. (ii) Five years experience of evolving, managing and directing major Programmes under any branch of science. (iii) Published research work of high standard.

Note 1: The above experience shall be applicable in respect of candidates having Bachelor Degree in Engineering or Bachelor Degree in Technology or Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses B Level or Associate Member of Institute of Engineers or Graduate Institute of Electronics and Telecommunication Engineers or Master Degree in Science or Master in Computer Application qualifications, and for Candidates having Master Degree in Engineering or Master Degree in Technology or Master Degree in Philosophy, two years relaxation in above experience shall be applicable.

Note 2: After acquiring essential qualification mentioned above, the candidate must have relevant experience in one or more areas in Research or Development or Design or Integration and implementation of Information Technology Solution or Testing or Quality Control or Capacity Development in the areas of Electronics, Control and Automation or e-governance or Information Technology or Computer Science or Cyber Security or Micro Electronics or Nano Technology or Communication including Data Communications or Network and Software Engineering or Medical Electronics or Industrial Engineering or Production Engineering or Cyber Law as decided by the Ministry of Electronics and Information Technology as per the requirement at the time of recruitment.

Desirable:

PhD in Science or Engineering or Information and Communication Technology.

4. Methods of recruitment. – (a) The recruitment shall be made either by direct recruitment or absorption or deputation (including short-term contract) and the particular method of recruitment or education qualification or experience for each post shall be decided by the Ministry of Electronics and Information Technology in the light of the educational qualifications and the experience or area required for the particular post before advertising the post, keeping in view the requirements of the same in the organisation.

(b) For ex-servicemen – Deputation or re-employment:

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experience prescribed under clause (iii) of rule 3 shall also be considered and if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment.

(A) Direct recruitment: (i) The candidates possessing the educational qualification and experience specified under clause (iii) of rule 3 may be considered as eligible for direct recruitment.

(ii) The selected candidates for the post of Scientist 'D', Scientist 'E' and Scientist 'F' shall be on probation for the period of one year and Scientist 'B' and Scientist 'C' shall be on probation for the period of two years as per Government instructions, which is extendable twice by a period of six months maximum on each

occasion and if a candidate is still not able to clear his probation, the Government may discharge him from the post on which he has been recruited:

Provided that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(iii) The confirmation of the Scientists shall be considered by the Departmental Confirmation Committee consisting of a Chairman and three Members as under:-

- (a) Chairman - Director General, National Informatics Centre;
- (b) Members - Two Scientists 'G' from National Informatics Centre, and
Head (Personnel Division), National Informatics Centre.

(B) Absorption or Deputation (including short-term contract):

The Scientists or Technologists working in the Central Government or State Government or Universities or Recognised Research Institutions or Semi Government, Statutory or Autonomous Organisations in India or abroad may be recruited on absorption or deputation (including short-term contract) basis subject to fulfilment of the following conditions, namely:-

- (i) the Scientists or Technologists possess minimum educational qualifications and experience as specified in clause (iii) of rule 3;
- (ii) the Scientists or Technologists shall be holding a post analogous to the post applied for or having the experience as stated against a specific post :-

Sl. No.	Name of post.	Required experience.
(1)	(2)	(3)
(a)	For Scientist 'B'	With eight years' service in a post in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent.
(b)	For Scientist 'C'	With five years' service in a post in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent.
(c)	For Scientist 'D'	With five years' service in post in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent.
(d)	For Scientist 'E'	With five years' service in post in level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix or equivalent with ten years' service in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent.
(e)	For Scientist 'F'	With two years' service in post in level-13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix or equivalent with seven years' service in level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix or equivalent.

- (iii) the period of deputation, including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years, which may be extended further with the approval of the Central Government;
- (iv) the Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme or any other Scientific and Technical Personnel Policy in vogue shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers, and similarly deputationist shall not be eligible for consideration for in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme or any other Scientific and Technical Personnel Policy in vogue;
- (v) the maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

5. **Age-limit.** – The upper age-limit for direct recruitment in each category of post shall be as under:-

Sl. No.	Name of the post	Upper age limit not exceeding
(1)	(2)	(3)
(i)	Scientist 'B'	30 years
(ii)	Scientist 'C'	35 years
(iii)	Scientist 'D'	40 years
(iv)	Scientist 'E'	45 years
(v)	Scientist 'F'	50 years:

Provided that -

- (i) there shall be age relaxation in respect of the Scientists already working on regular basis in the Ministry of Electronics and Information Technology and its organisations as per the extant rules in vogue from time to time in the Central Government;
- (ii) the upper age-limit in respect of the Schedule Castes, the Schedule Tribes, ex-servicemen, Other Backward Classes, Orthopedically Handicapped and other special categories of persons shall be relaxable in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard;
- (iii) the Central Government may relax the upper age-limit for all categories of posts in case of highly experienced candidates in specialised scientific areas.

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

6. **Screening Committee.**—The Screening Committee for direct recruitment or deputation or absorption shall consist of a Chairman and two Members who shall be nominated by the Director General, National Informatics Centre and the authority to accept the recommendations of the Screening Committee shall be Director General, National Informatics Centre and only the screened-in candidates shall be eligible for next level(s) of recruitment.

7. **Departmental Selection Committee, and its composition, for direct recruitment or deputation (including short-term contract) or absorption.** – The Departmental Selection Committee for direct recruitment or deputation (including short-term contract) or absorption and its composition shall be as under:-

(A) For recruitment to the post of Scientist 'F':

(i)	Scientist –H or equivalent from Defence Research Development Organisation or Council for Scientific and Industrial Research or Department of Science and Technology or Scientific or Technical academic institution	Chairperson;
(ii)	Scientist 'G' or equivalent from Industry	Member;
(iii)	Representative from a Academic Institution of the level of Director, Indian Institute of Technology or Indian Institute of Information Technology or Indira Gandhi National Open University or Scientific or Technical academic institution in level-14 (Rs. 144200-218200) in the pay matrix	Member;
(iv)	One member of the level of Scientist 'G' or equivalent from other Scientific Government Departments	Member;
(v)	One member of the level of Scientist 'G' or equivalent from Ministry of Electronics and Information Technology or National Informatics Centre or Standardisation, Testing and Quality Certification, Directorate	Member.

(A) For recruitment to the post of Scientist 'B', Scientist 'C', Scientist 'D' and Scientist 'E':

(i)	Scientist-G or equivalent from Defence Research Development Organisation or Council for Scientific and Industrial Research or Department of Science and Technology or Scientific or Technical academic institution	Chairperson;
(ii)	Scientist 'G' or equivalent from Industry	Member;
(iii)	Representative from a Academic Institution of the level of Director, Indian Institute of Technology or Indian Institute of Information Technology or Indira Gandhi National Open University or Scientific or Technical academic institution in level-13A (Rs. 135100-216600) in the pay matrix	Member;
(iv)	One member of the level of Scientist 'F' or equivalent or above from other Scientific Government Departments	Member;
(v)	One member of the level of Scientist 'F' or equivalent or above from Ministry of Electronics and Information Technology or National Informatics Centre or Standardisation, Testing and Quality Certification, Directorate	Member.

Note: The proceedings of the Departmental Selection Committee may be acted upon notwithstanding the absence of any of its members other than the Chairperson provided that the member was duly invited but he absented himself for one reason or the other and there was no deliberate attempt to exclude him from the deliberation of the Departmental Selection Committee and provided further that the majority of the members constituting the Departmental Selection Committee are present in the meeting.

8. **Disqualification.** - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. **Liability of officers to serve in India and outside.** - (1) Officers appointed under these rules shall be liable to serve anywhere in India and outside.

(2) Officers appointed under these rules shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or abroad as the Government may decide from time to time and an Officer detailed for training or course, the duration of which is six months or more or an officer detailed for training outside India or with private firms or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be liable to refund in full the cost of training, if, for any reason, during the training, or within a period of three years after the completion of such training, he chooses to discontinue his service.

10. **Training.** -An Officer appointed under these rules on direct recruitment basis shall compulsorily undergo training programme for a period specified by the National Informatics Centre and no officer shall be cleared for his probation period without completing such training programme.

11. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

12. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[F.No. 3(2)/2018-Pers.]]

RAJESH GERA, Director General